Services Authority of the District constituted under Section 9;

f. "Legal Service" includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any Court or other authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter;

g. "Lok Adalat" means a Lok Akalat organised under Chapter VI of the Act;

h. "Member" means a member of the Distcit Authority;

i. "Rules" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996;

j. "Secretary" means the Secretary of the District Authority;

k. "Section" mens a section of the Act;

l. "State Authority" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority constituted under Section 6.

CHAPTER II

Function, Meetings and Fund of the Authority

Functions of the District Authority

3. 1. The District Authority perfom the following functions, namely:

a. Organise Lok Akalats within the district, including at Tehsil level for all categories of cases which are capable of settlement at Lok Adalat;

b. Provide legal aid, legal advice, legal literacy and other legal services in anymatter to be filed or defended in any civil, criminal under any Law for the time being in force to exercise Judicial or quasi-Judicial functions at the district level;

c. Organise Legal Literacy camps, more particularly in the areas predominantly inhabited by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections of the society;

(ङ) "जिला प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से है;

(च) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है;

(छ) "लोक अदालत" का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत से है;

(ज) "सदस्य" का तात्पर्य जिला प्राधिकरण के सदस्य से है;

(झ) नियमावली का तात्पर्य उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा नियमावली 1996 से है;

(ञ) "सचिव" का तात्पर्य जिला प्राधिकरण के सचिव से है;

(ट) 'धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ठ) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

अध्याय दो

प्राधिकरण के कृत्य, बैठक और निधि

जिला प्राधिकरण के कृत्य

3. 1. जिला प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात् :

(क) सभी कोटि के मामले जो लोक अदालत में निपटाये जाने योग्य हों के लिये, जिले के भीतर जिसमें, तहसील स्तर भी सम्मिलित है, लोक अदालतों को आयोजित करना;

(ख) जिले के किसी सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय में या जिला स्तर पर न्यायिक या न्यायिक कल्प कृत्यों का प्रयोग करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकरण में दाखिल या प्रतिरक्षा किये जाने वाले किसी मामले में विधिक सहायता, विधिक सलाह, विधिक साक्षरता और अन्य विधिक सेवा उपलब्ध कराना;

(ग) साक्षरता कैम्पों, अधिक विशिष्ट रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

d. Carry out and corrdinate conciliation work directly or through organisations of individuals engaged in the service of the poor and weaker sections fo the society, in particular, woman, children, members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

e. Carry out legal aid, legal advice, legal literacy and other legal services programmes and schemes with the object of affording equal opportunitites in the field of law to the weaker sections of the society in acordance with directions of the Central Authority and State Authority;

f. Act in coordination with other governmental and non-governmental organisation, Universities and other organisations and individulas engaged in the work of promotion of legal services to the poor and other weaker sections of the society;

g. Give effect to the policies and programmes of the Central Authority and the State Authority;

2. The District Authority shall perform such of the functions of the State Authority in the district as may be delegated to it, from time to time, by the State Authority;

Terms of office of Members

3.A 1. The terms of office of members nominated under clause (b) of sub section (2) of Section 9 shall be two years and such members shall be eligible for renomination.

2. A member nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 9 may be removed by the Government if in the opinion of the Government it is not desirable to continue him as member.

3. If any vacancy occurs due to death or otherwise in the office of member of the District Authority, it shall be filled in the

और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का प्रमुखता में वास हो, का आयोजन करना;

(घ) सुलह कार्य का सीधे या निर्धन और समाज के कमजोर वर्गों विशिष्टतया महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सेवा में लगे हुये व्यक्तियों या संगठनों के माध्यम से कार्यन्वित और समन्वय करना;

(ङ) केन्द्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों को विधि के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक सहायता, विधिक सलाह, विधिक साक्षरता और अन्य विधिक सेवा कर्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित करना;

(च) निर्धन और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विधिक सेवाओं के उन्नयन के कार्य में लगे अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों और व्यक्तियों के समन्वयन में कार्य करना;

(छ) केन्द्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण की नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना;

2. जिला प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों को जिले में सम्पादित करेगी जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायं।

सदस्यों की पदावधि

*3क. 1. धारा 9 को उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी और ऐसे सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिये पात्र होंगे।

2. धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य को सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, यदि सरकार की राय में उसे सदस्य के रूप में बनाये रखना अपेक्षित न हो।

3. यदि मृत्यु हो जाने के कारण या अन्यथा जिला प्राधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाय तो उसे अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली में दी गयी रीति से पूर्वाधिकारी की अवशिष्ट अवधि के लिए भरा जायेगा।

* सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश संख्या 826/एस एल एस ए-190/96 दिनांक 07.04.1998 द्वारा 3क जोड़ा गया।

manner provided for in the Act and Rules made thereunder for the residue of the term of his predecessor.

Secretary of the District Authority

4. 1. The Secretary shall be appointed by the State Authority in consultation with the Chairman from amongst the officers specified in sub-section (3) of section (9).

2. The Secretary shall be the principal officer of the District Authority. He shall;

(a) be responsible for carrying out the programmes of Lok Adalats Legal Aid, Legal Advice and Legal Literacy and all day today work conducted therewith;

(b) exercise such powers, perform such functions and discharge such duties as may be assigned to him by the Chairman;

(c) be the costodian of all assets, accounts, records and funds of the District Authority and shall ensure proper maintenance and upkeep of the records of the District Authority;

(d) maintain or cause to be maintained true and proper Accounts of the receipts and disbursements of the funds of the District Authority in accordance with the provisions of section 18;

3. The Secretary shall act and discharge his duties and perform his functions as Secretary in addition to his duties and work as Judicial Officer and for that purpose he may be paid honoraruim at the rate of Rs. 500/- per month as has ben determined in consultation with the Chief Justice of the Allahabad High Court;

Transaction of business of the District Authority

5. 1. The District Authority shall meet once in every three months; Provided that the Chairman may convene a meting of the District Authority whenever any business is to be transacted.

2. Annual general meting of the District Authority

जिला प्राधिकरण का सचिव

4. 1. अध्यक्ष के परामर्श से धारा 9 की उपधारा (3) में नि अधिकारियों में से नियुक्त किया जायेगा;

2. सचिव, जिला प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी होग

(क) लोक अदालतों, विधिक सहायता, विधिक सल विधिक साक्षरता के कार्यक्रमों और उनसे संबंधित प्रति के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए जि होगा;

(ख) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे अ द्वारा समनुदेशित किए जायं;

(ग) जिला प्राधिकरण की समस्त आस्तियों, लेखों, अभि और निधियों का अभिरक्षक होगा और जिला प्राधिव के अभिलेखों का उचित अनुरक्षण, रख-रखाव सुनिश्चि करेगा;

(घ) धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार जिला प्राधिकरण निधियों की प्राप्तियों और संवितरण का सत्य और लेखा रखेगा या रखवायेगा;

3. सचिव, सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कृत्यों का पालन, न्यायिक अधिकारी के रूप में अ कर्तव्यों और कार्यों, के अतिरिक्त करेगा और इस प्रयो के लिए उसे 500 रू0 प्रतिमाह की दर पर, जैसा कि उ न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श अवधारित किया गया है, मानदेय का भुगतान किया जायेग

प्राधिकरण के कारबार का संव्यवहार

5. 1. जिला प्राधिकरण प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक करे परन्तु अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण की बैठक, कभी भी ज किसी कारबार का संव्यवहार किया जाना हो, बुला सकता है

2. जिला प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक सामान्यतय प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में या ऐसे अन्य माह में जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय, बुलाई जायेगी।

3. जिला प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

4. अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए सात सदस्य किसी बैठक की

क्रम-संख्या—252(ङ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी—11/लाई०—

न्यूज पेपर/91/05—06

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अक्टूबर, 2006

कार्तिक 8, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग—7

संख्या 206/एस०एल०एस०ए०-190-96

लखनऊ, 25 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 29-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार एवं अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 जिसे अधिसूचना संख्या 40/एस०एल०एस०ए०-104-97, दिनांक 11 सितम्बर, 1997 के अधीन सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 14 अक्टूबर, 1997 में प्रकाशित किया गया है तथा अधिसूचना संख्या 826/एस०एल०एस०ए०-190-96, दिनांक 7 अप्रैल, 1998 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) (संशोधन) विनियमावली, 1998 के अधीन प्रथम संशोधन प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात पुनः संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और आरम्भ

1—(1) यह विनियमावली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी मानी जायेगी।

नया विनियम 3 (ख) का बढ़ाया जाना

2--जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश को मानदेय –

3(ख)–अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन, न्यायिक अधिकारी के रूप में, अपने कर्तव्यों और कार्यों के अतिरिक्त करेगा और इस प्रयोजन के लिये उसे रु0 1,000 प्रतिमाह की दर पर जैसा कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अवधारित किया गया है, मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

विनियम 4(3) को पुनर्स्थापित किया जाना

3–4(3) सचिव, के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन, न्यायिक अधिकारी के रूप में, अपने कर्तव्यों और कार्यों के, अतिरिक्त करेगा और इस प्रयोजन के लिये उसे रु0 750 प्रतिमाह की दर पर, जैसा कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निर्धारित किया गया है, मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

THE Uttar Pradesh State Legal Services Authority hereby publishes the following English translation of notification no. 206/S.L.S.A.-190-96, dated September 25, 2006 for general information :

No. 206/S.L.S.A.-190-96

Dated Lucknow, September 25, 2006

IN exercise of the powers conferred by section 29-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987), the Uttar Pradesh State Legal Services Authority makes the following regulations with a view to amending the District Legal Services Authorities (Transaction of Business and other Provisions) Regulations, 1997 and District Legal Services Authorities (Transaction of Business and other Provisions) (Amendment) Regulations, 1998 published under notification no. 40/S.L.S.A.-104-97, dated September 11, 1997 and notification no. 826/S.L.S.A.-190-96, dated April 7, 1998 in the official *Gazette* Vidhayi Parishist, Part-4, Section (A), dated October 14, 1997 and April 7, 1998 respectively.

THE DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES (TRANSACTION OF BUSINESS AND OTHER PROVISIONS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2006

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the District Legal Services Authorities (Transaction of Business and other Provisions) (Second Amendment) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force with effect from October 1, 2006.

Insertion of new Regulation 3(B)

2. **Honorarium to Chairman/District Judge, District Legal Services Authorities —**

3(B). The Chairman shall act and discharge his duties and perform his function as Chairman in addition to his duties and work as Judicial Officer and for that purposes he shall be paid honorarium at the rate of Rs. 1,000 per month as has been determined in consultation with the Chief Justice of the Allahabad High Court.

Re-establish of Regulation 4(3)

3. 4(3) The Secretary shall act and discharge his duties and perform his function as Secretary in addition to his duties and work as Judicial Officer and for that purposes he shall be paid honorarium of Rs. 750 per month as has been determined in consultation with the Chief Justice of Allahabad High Court.

By order,
RAM HARI VIJAI TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 308 राजपत्र (हिन्दी)–(6771)–2006–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा० न्याय–(6772)–2006–2000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

shall be convened ordinarily in the month of April every year or in such other month as may be directed by the Chairman.

A meeting of the District Authority, shall be presided over by the Chairman.

The quorum for a meeting shall be seven members including the Chairman.

For every meeting of the District Authority, atleast two weeks notice shall be given to the Members to attend the meeting; however, and emergent meeting may be convened by the Secretary in accordance with the directions of the Chairman on a short notice.

The District Authority shall regulate its own procedure.

One or more persons who are engaged or interested in the upliftment of the weaker sections of the society who are considered suitable by the Chairman, may be invited for any meeting in order to seek their views, cooperation and help such person shall, have no right to vote at such meeting.

(a) All policy and other important matters shall be brought before the District Authority for consideration and decision;

(b) Any specific matter or matters as may be desired or required by the District Authority, generally or otherwise, to be placed before it, shall be placed before the District Authority for its consideration and decision;

(c) In respect of emergent matters, the Chairman may exercise the powers and perform the functions and discharge the duties of the District Authority. All such matters shall, however, be placed before the District Authority for its information and approval.

All decisions at the meetings shall be taken by the majority of the members present and voting and in case of tie, the person presiding over the meeting shall have a second or

गणपूर्ति होंगे।

5. जिला प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए कम से कम दो सप्ताह की नोटिस दी जाएगी तथापि सचिव द्वारा अल्प सूचना पर आपाती बैठक बुलाई जा सकती है।

6. जिला प्राधिकरण स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

7. एक या अधिक व्यक्ति जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे हुए या हितबद्ध हों, जो अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझे जायं उनके विचार, सहयोग और सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैठक के लिए आमंत्रित किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसी बैठक में मत देने का अधिकार न होगा।

8 (क) सभी नीतिगत और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को जिला प्राधिकरण के समक्ष उसके विचारण और विनिश्चय के लिए लाया जायेगा;

(ख) जिला प्राधिकरण द्वारा सामान्यतया: या अन्यथा उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये वांछित या अपेक्षित किसी विशिष्ट मामलों या मामलों को जिला प्राधिकरण के समक्ष विचारण और विनिश्चय के लिये प्रस्तुत किया जायेगा;

(ग) आपाती मामलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है तथापित ऐसे सभी मामलों को जिला प्राधिकरण के समक्ष उसके सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।

9. बैठक में सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

10. सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को इस प्रयोजन के लिये रखे जाने वाले रजिस्टर में सम्यक् रूप से अभिलिखित करे या करवाये।

11. प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रति बैठक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य प्राधिकरण को भेजी जायेगी।

casting vote.

10. It shall be duty of the Secretary to duly record or cause to be recorded the minutes of every meeting in the register to be maintained for the purpose.

11. A copy of the proceedings of every meeting shall be sent to the State Authority as soon as may be after the meeting

12. The non-official Members shall be entitled to payment of Travelling allowance and daily allwance in respect of the Journeys performed in connection with the work of the District Authority at the rates admissible to a group 'A' officer of the State Government.

Funds/Accounts and Audit of the District Authority

6. 1. The District Legal Aid Fund shall consist of the following, namely :-

(a) all sums of money paid or any grants made by the Stae Authority to the District Authority for the purposes of the Act;

(b) any grants or donatins that may be made to the District authority by any person with the prior approval of the State Authority, for the purposes of the Act;

(c) any other amount received by the District Authority under the orders of any Court or from any other source.

2. The District Legal Aid fund shall be applied for meeting the Cost of the functions referred to in sub-section (2) of Section 17.

3. The accounts and other relevant records and statement of the District Authority shall be maintained properly in such from and in such manner as may be prescribed under Section 18 and until so prescribed it shall be done as may be directed by the State Authority.

CHAPTER - III

Legal Services

Criteria for giving Legal Services

12. गैर सरकारी सदस्य जिला प्राधिकरण के कार्यों के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिये राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारी को अनुमन्य दरों पर यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ते का भुगतान पाने के अधिकारी होंगे।

जिला प्राधिकरण की निधियाँ, लेखे

6. 1. जिला विधिक सहायता निधि में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को संदत्त सभी धनराशि या दिये गये अनुदान;

(ख) कोई ऐसे अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति द्वारा, राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण को दिये जाय।

(ग) जिला प्राधिकरण, द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या अन्य स्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम।

2. धारा 17 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कृत्यों पर किया गया व्यय जिला विधिक सहायता निधि से वहन किया जायेगा।

3. जिला प्राधिकरण के लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख और विवरण को धारा-18 के अधीन यथा विहित ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से उचित तौर पर रखा जायेगा और जब तक कि ऐसा विहित न कर दिया जाय राज्य प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय तीन

विधिक सेवायें

विधिक सेवायें दिये जाने का मानदण्ड

7. 1. जिले के भीतर किसी सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय या जिला स्तर पर न्यायिक या न्यायिक कल्प कृत्यों के प्रयोग के लिये किसी विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के समक्ष मामलों में जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवायें उपलब्ध कराई जा सकती है।

2. कोई व्यक्ति विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति :-